न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 03/17

नवान :

1. पवन उम्र 7 वर्ष पुत्र धर्मपाल जाति जाट नाबालिगान जरिए कुदरती वली माता सन्तोष पत्नी धर्मपाल निवासी रामबास त0 भादरा हाल कणाउ त0 भादरा।
2. पूनम उम्र 3 वर्ष पुत्र धर्मपाल जाति जाट नाबालिगान जरिए कुदरती वली माता सन्तोष पत्नी धर्मपाल निवासी रामबास त0 भादरा हाल कणाउ त0 भादरा।

- प्रार्थिया

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
2. लीलूराम पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
3. परमेश्वरी पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी - **प्रार्थिया**

वकील श्री पवन सिहाग - **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 06.07.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामबास के खाता सं0 114/110 के खसरा नं0 113 की 0.2660है0, खसरा नं. 343 की 11.5870है0, कुल 11.8530 है0 बारानी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 2 का लच्छीराम के साथ 0.379है0 बहिस्सा बराबर, खाता सं0 59/56 के खसरा नं0 112 की 2.3020है0 बारानी, खसरा नं 242 की 4.2630है0 बारानी कुल 6.5650है0 बारानी अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा, खाता सं0 60/57 के खसरा नं0 114 की 1.2900 है0 बारानी में अप्रार्थी सं0 1 बनवारीलाल के नाम 1/2 हिस्सा, खाता सं0 74/72 के खसरा नं0 20 की 1.7330है0, खसरा नं0 21 की 1.7080है0, खसरा नं0 22 की 1.8340है0, खसरा नं0 75 की 3.1750है0, खसरा नं0 76 की 3.4910है0, खसरा नं0 77 की 3.6180है0, खसरा नं0 78 की 5.3640है0 कुल 20.9230है0 बारानी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 2 का 20 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि कुल वाद भूमि अप्रार्थी सं0 1 के पडपौते–पोती है तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पोते–पोती है जो साथ–साथ निवास करते है व कारोबार करते है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वाद कृषि भूमि दादालाई संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है। वाद भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3

Scanned with CamScanner

नाम से राजस्व रिकार्ड महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है। वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें पार्थीया का भी जन्म से हक निहित है।

वाद भूमि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के पडदादा बनवारीलाल को उनके पिता मजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक दादालाई सम्पति है। अप्रार्थी सं0 1 काफी वृद्व व्यक्ति है जो चलने, फिरने में असमर्थ था मानसिक सन्तुलन सही नही रहता है। अप्रार्थी सं0 2 काफी शरावी–कवावी व्यक्ति है जो आवारा लोगों की संगत में रहने लग गया है व आवारा लोगों के बहकावे में आकर अपने व अपनी पत्नी के नाम दर्ज कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु ग्राहक तलाश कर रखे है। वाद कृषि भूमि को बिना संयुक्त परिवार की जायज जरूरत रहन बैय व हस्तकिल करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 वाद कृषि भूमि को रहन, बैय व हस्तकिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और प्रार्थीया अपने हिस्सा की वाद भूमि से वंचित रह जाऐगी। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के कानूनी अधिकारी है कि प्रार्थी सं0 1 ता 3 मद सं0 3 में दर्ज अपने हक हिस्सा को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तकिल नहीं करें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी 1 ता 3 ने जबाबदरख्वास्त पेश कर अतिंरिक्त कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा सजरा खानदान अधुरा पेश किया है। बनवारीलाल के दो लड़के व एक लड़की बिमला मोजुद है। सजरा खानदान में बिमला का नाम दर्ज नही है लिलुराम के दो लड़के जगदीश, धर्मपाल एवं एक पुत्री किसमता है सजरा खानदान में बिमला का नाम दर्ज नही है। वर्णित सम्पूर्ण वाद कृषि भूमि सायला की पैतृक दादालाई कृषि भूमि नहीं है। दावा की मद सं0 3 में वर्णित खाता सं0 114/110 के खसरा नं0 113, 343 की कुल 11.5870है0 कृषि भूमि में से 0.379है0 बारानी कृषि भूमि को अप्रार्थी सं0 2 लिलुराम व लच्छीराम ने दिनांक 19.03.2002 को काशीराम से कीमतन खरीद की हुई है। खाता सं0 60/57 के खसरा नं0 114 की 1.2900है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको सन्तिया पि0मु0 गोपी कौम महाजन साकिन रामबास से कीमतन 25.11.1968 को खरीद की हुई है। रोही रामबास के खाता सं0 74/72 के खसरा नं0 20, 21, 22, 75, 76, 77, 78 की कुल 20.9230 है0 बारानी कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं0 3 का 20 हिस्सा दर्ज है को अप्रार्थी सं0 3 ने परमेश्वरी देवी पत्नी लिलुराम ने रामकुमार पि0मु0 जग्गू, जाति जाट निवासी रामबास से दिनांक 07.06.2004 को कीमतन खरीद की हुई कृषि भूमि है। रौही रामबास के खसरा नं0 112, 242 की कृषि भूमि अप्रार्थी बनवारीलाल व उसके भाई मुंशीराम की नोतोड़कर बंजर भूमि को काबिल काशत बनाई कृषि भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थीया किसी प्रकार से वाद में वर्णित कृषि भूमि उसकी दादालाई पैतृक पुश्तैनी सम्पति नहीं होने के कारण किसी प्रकार का न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने या घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया ने अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने हेतु वाद प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वह रौही मोजा रामबास में दर्ज अपने हिस्सा की कृषि भूमि की मोका व रिकार्ड यथा स्थिति बनाये रखे। चूंकि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3

Scanned with CamScanner

ो स्वार्जित कृषि भूमि व पैतृक दोनों प्रकार की कृषि भूमि है इस प्रकार मुताबिक नुतोष प्रार्थना पत्र में अंकित संपुर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती क्योंकि कुल भूमि में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 स्वार्जित कृषि भूमि भी शामिल है यदि प्रार्थी सं0 1 ता 3 कुल वाद भूमि में अपना नाम दर्ज होने के कारण भूमि विक्रय करता तो प्रार्थिया को केवल पैतृक भूमि के बैय या मुन्तकिल होने की स्थिति में असुविधा व पूर्णिय क्षति होती है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा ामबास के खाता सं0 59/56 के खसरा नं0 112 की 2.3020है0 बारानी, खसरा नं 242 ी 4.2630है0 बारानी कुल 6.5650है0 बारानी अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा, खाता सं0 114/110 के खसरा नं0 113 की 0.2660है0 कृषि भूमि जिसमें अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा को जो पैतृक कृषि भूमि है को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner